भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 204

03 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं

***204 श्री एंटो एन्टोनी**

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या इस मंत्रालय के गठन से विभिन्न राज्यों की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों में कार्य कर रही प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्‌वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 03.08.2021 को उत्तरार्थ प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के संबंध में श्री एंटो एन्टोनी द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 204 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार सहकारिता मंत्रालय का अधिदेश **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) तथा (ग): जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध -I

1. सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति और सभी क्षेत्रों में सहकारी गतिविधियों का समन्वय
   नोट :- संबंधित मंत्रालय, क्षेत्रों में सहकारिता के लिए जिम्मेदार हैं।
2. "सहकारिता से समृद्धि की ओर" परिकल्पना को साकार करना
3. देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाना ।
4. देश के विकास के लिए, अपने सदस्यों के बीच जिम्मेदारी की भावना सहित सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना।
5. सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचे का निर्माण।
6. राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले
7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
8. 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के प्रशासन सहित एक राज्य तक सीमित न रही लक्ष्यों वाली सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन:

   बशर्ते कि इसके नियंत्रण में कार्यरत सहकारी इकाइयों के लिए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग 'केंद्र सरकार' होगा।

9. सहकारिता विभागों और सहकारिता संस्थाओं के कर्मियों का प्रशिक्षण (सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-अधिकारियों की शिक्षा सहित)

****